100/23	इरशाद v/s रामलेश प्रा० प्र० 212 R.T. Act.
29-11-23	बकुलाये करीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है। प्रश्न [illegible] में चलता है। पत्रावली दि. 19-1-24 को पेश हो। (B)
19-1-24	बकुलाये करीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है। प्रश्न [illegible] में चलता है। पत्रावली दि. 5-2-24 को पेश हो। (B)
5-2-24	बकुलाये करीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है। प्रश्न [illegible] में चलता है। पत्रावली दि. 21-2-24 को पेश हो। (B)
21-2-24	अधिवक्ता संघ पश उपस्थित। अभिभाषक संघ ने पोर्टे कार्य स्थगित रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 4-3-24 को पेश हो। (B)
4-3-24	बकुलाये करीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है। प्रश्न [illegible] में चलता है। पत्रावली दि. 5-4-24 को पेश हो। (B)
15/4/24	वकील वादी एवं अधिवक्ता श्री राजेन्द्र तल्ली मुकदमा हाजिर। दिनांक 15/4/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सोनकुण्डी, जिला-सोनकुण्डी-[illegible]
15/4/24	वकील वादी एवं राजेन्द्र तल्ली अधि० गण हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। अन्यथा 09 RS CRC के तहत 2/- दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 26/4/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सोनकुण्डी, जिला-सोनकुण्डी-[illegible]

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी सोनकुण्डी

बनाम रामलेश वगैरह /20

प्र० प्र० 212 R.T. Act

आज्ञा निम्नलिखित क्रम से	विशेष विवरण
अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन अधिवक्ता वादी या वादी बोर्ड भी उपस्थित नहीं आये। इसलिए वादी का वादिन-पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित फाइल होकर बन्द की जाये। उपखण्ड अधिकारी, सोनकुण्डी, जिला-सोनकुण्डी-[illegible]	